श्रीधर सी0 भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 31.05.2012 को जिला राजस्व शाखा का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 परिचय :–

वर्ष 1972 में पश्चिम चम्पारण जिले का सृजन होने के बाद यह कार्यालय मार्च 1973 से कार्यरत है। राजस्व कार्यालय समाहरणालय के पथम तल्ले के दांयी ओर की अंतिम हॉल में अवस्थित है। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि राजस्व कार्यालय का छत कतिपय स्थानों पर टूटा हुआ है। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि छत टूटे रहने के कारण कार्यालय कर्मियों के द्वारा पंखे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कार्यालय के बिजली का तार जर्जर है। पूर्ण रुप से बदलने की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक किनारे से दीवार से पानी बरसात के मौसम में चूने की बात कही गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व कार्यालय की छत बिजली वयवस्था की पूर्णरूपेण मरम्मति करने की आवश्यकता है।

2.0 सामान्य :–

- ✓ समुद्र तल से ऊँचाई - M.S.L- 73.458 M
- ✓ भौगोलिक क्षेत्रफल - 5228 sq. km
- ✓ जनसंख्या - 30,43,466
- ✓ महाविद्यालय की संख्या - 03
- ✓ महिला महाविद्यालय की संख्या - 1
- ✓ उच्च विद्यालय की संख्या - 63
- ✓ बालिका उच्च विद्यालय की संख्या - 3
- ✓ मध्य विद्यालय की संख्या - 231
- ✓ प्राथमिक विद्यालय की संख्या - 1510
- ✓ कुल अंचलों की संख्या - 18
- ✓ कुल हल्कों की संख्या - 164
- ✓ कुल पंचायतों की संख्या - 315
- ✓ कुल राजस्व ग्रामों की संख्या - 1532

3.0 पूर्व निरीक्षण :–

जिला राजस्व प्रशाखा के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में किए गये निरीक्षण एवं अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रं0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
1	आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	25.03.1987	24.04.1987	15.07.1987
2	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	09.07.1986	14.07.1986	02.12.1986
3	अपर, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	06.12.1988	05.01.1989	18.03.1989
4	अपर, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	04.01.1990	06.01.1990	16.05.1990
5	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	15.11.2010	27.11.2010	

प्रधान लिपिक द्वारा पूर्व निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण संबंधी रक्षी संचिका उपस्थापित किया गया। प्रधान सहायक को निदेश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणी

48

महत्वपूर्ण कागजात होता है, जिसे सुरक्षित रखा जाए एवं निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाए।

4.0 प्रभार :–

श्री विनोद कुमार झा, दिनांक 6.07.2011 से अपर समाहर्त्ता के प्रभार में हैं। इसके पूर्व श्री रामजी पाण्डेय दिनांक 03.03.2009 से दिनांक 30.04.2011 तक अपर समाहर्त्ता के प्रभार में रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण परमहंस दिनांक 1.05.2011 से 10.06.2011 एवं श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 दिनांक 10.06.2011 से 6.7.2011 तक प्रभार में रहे हैं।

प्रभारी के रूप में श्री विवेक कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता राजस्व शाखा के प्रभार में हैं। इनके पूर्व श्री सुकदेव प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता प्रभार में थे।

5.0 साफ–सफाई :–

राजस्व कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या में आलमीरा और टेबुल बेतरतीब ढंग से रखे हुए हैं। पुरानी संचिकाएं टेबुल पर रखे पड़े हैं। पूर्व में लाल कपड़े में बांध कर रखे हुए पुराने संचिकाओं को कार्यालय कक्ष में रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विषयवार वर्गीकरण कर वैसे कागजात जिसे कार्यालय के दैनिक उपयोग की आवश्यकता नहीं है को रेकड रूम को हस्तांतरित करने की कार्रवाई एक पक्ष के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

पृच्छा के क्रम में राजस्व कार्यालय के कर्मियों ने कार्यालय के साफ–सफाई एवं राजस्व शाखा के बगल में शौचालय की सफाई नहीं होने, बदबू आने एवं पानी के नल खराब होने की बात बताई गई। जिला नजारत उप समाहर्त्ता/जिला नाजीर को निदेश है कि प्रत्येक दिन शौचालय की साफ–सफाई एवं फिनाईल का प्रयोग की व्यवस्था करें ताकि दुर्गन्ध दूर हो सके एवं कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(अनुपालन – जिला नजारत उप समाहर्त्ता/जिला नाजिर)

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, बेतिया को निदेश है कि राजस्व कार्यालय के बगल में अवस्थित शौचालय के नल की मरम्मति करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, बेतिया)

<u>6.0 कार्यालय व्यवस्था</u> :–

कार्यालय में प्रधान लिपिक एवं अन्य लिपिकों के बैठने हेतु अलग–अलग टेबुल–कुर्सी एवं संचिकाओं, अभिलेखों को रखने हेतु आलमीरा/बक्सा उपलब्ध है। कम्प्यूटर उपकरण भी उपलब्ध है। कार्यालय में एक नियमित कम्प्यूटर ऑपरेटर की पदस्थापना नहीं होने के कारण कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य बुरी तरह बाधित है। हाल में चतुर्थवर्गीय कर्मियों की सीधी नियुक्ति की गयी है। कतिपय चतुर्थवर्गीय कर्मी कम्प्यूटर प्रशिक्षित हैं उनमें से एक की प्रतिनियुक्ति जिला राजस्व कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे।

7.0 स्थापना :–

जिला राजस्व शाखा में लिपिकों का कुल स्वीकृत पद बल 11 (ग्यारह) है जिसके विरूद्ध 4 नियमित लिपिक एवं 3 संविदा लिपिक कार्यरत हैं। अनुसचिवीय कर्मचारियों की स्थापना

जिला नजारत शाखा से संपादित किया जाता है। अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या 2 है। 1 (एक) अनुसचिवीय कर्मचारी योगापट्टी अंचल से प्रतिनियुक्त हैं। जिला में अमीन का कुल 22 पद सृजित है जिसमें से 4 कार्यरत है। नियोजित अमीनों की संख्या 17 है।

8.0 पत्राचार :-

विगत तीन वर्षो का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों का आंकड़ा निम्न प्रकार है :–

क्रं0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निगर्त्त पत्रों की संख्या		
		प्रधान	अप्रधान	कुल	प्रधान	अप्रधान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2010	566	1860	2426	285	2449	2734
2	2011	696	2028	2724	243	2503	2746
3	2012	296	727	1023	134	1761	1895

काफी संख्या में पत्र प्राप्त एवं निर्गत्त हुए हैं। सभी लिपिकों की कर्मपुस्त में निष्पादन हेतु पत्र लंबित है। सभी कर्मियों को एक सप्ताह के अंदर लंबित पत्रों को उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। टिप्पणी पृष्ट पर कर्मियों/पदाधिकारियों का पूरा नाम एवं पदनाम अंकित किया जाय।

9.0 प्राप्ति पंजी :–

प्राप्ति पंजी का अवलोकन किय गया। प्राप्ति पंजी में दिनांक 26.05.2012 तक की प्रविष्टि की गई है। प्राप्ति पंजी प्रधान/अप्रधान में संधारित है। प्रधान लिपिक को निदेशित किया गया कि प्राप्त पंजी का पंजीकरण नियमित रूप से संधारित करावें।

10.0 निर्गत पंजी :–

निर्गत पंजी का अवलोकन किया गया। वर्ष 2012 का अलग–अलग प्रधान एवं अप्रधान निर्गत पंजी संधारित है। प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि वे निर्गत पंजी प्रधान/अप्रधान का नियमित संधारण सुनिश्चित करावें।

11.0 आकस्मिक अवकास पंजी :–

आकस्मिक अवकाश पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

12.0 कार्य–पत्रक :–

कार्य–पत्रक संधारित है।

13.0 कार्य–तालिका :–

कार्य–तालिका संधारित है एवं सभी लिपिकों को आवंटित है।

14.0 अनुक्रमणी पंजी :–

वर्ष 2012 का अनुक्रमणी पंजी संधारित है। कुल 90 राजस्व से संबंधित विषय पृष्टांकित हैं।

15.0 कर्म–पुस्त :–

लिपिकवार कर्म–पुस्त संधारित है। सभी लिपिकों की कर्मपुस्त में निष्पादन हेतु पत्र लंबित है। सभी कर्मियों को एक सप्ताह के अंदर लंबित पत्रों को उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। टिप्पणी पृष्ट पर कर्मियों/पदाधिकारियों का पूरा नाम एवं पदनाम अंकित किया जाय।

16.0 लंबित पत्रों की पंजी :–

लंबित पत्रों की पंजी प्रधान/अप्रधान संधारित है।

17.0 डिस्पैच रजिस्टर :–

संधारित एवं अद्यतन है।

18.0 डाक टिकट पंजी :–

संधारित एवं अद्यतन है।

19.0 आवंटन पंजी :–

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 संधारित है।

20.0 प्रधान लिपिक नोट बुक :–

नोट बुक संधारित है।

21.0 रक्षी पंजी :–

रक्षीपंजी विषयवार संधारित है।

22.0 भंडार पंजी :–

संधारित है।

23.0 रिपोर्ट रिर्टन :–

राज्य स्तर, प्रमंडलीय स्तर एवं जिला स्तर पर राजस्व कार्यो की समीक्षा हेतु विहित प्रपत्रों में संचिकाएँ अद्यतन संधारित है।

24.0 प्रधान लिपिक द्वारा टेबुल निरीक्षण :–

बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल्स के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रधान लिपिक द्वारा लिपिकवार टेबुलों का निरीक्षण किया जाता है।

25.0 अंकेक्षण :–

प्राप्त अंकेक्षण आपत्ति का कंडिकावार संचिका संधारित है। सभी अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया गया है।

26.0 लोक लेखा समिति :–

लोक लेखा समिति की संचिका के प्रभार में श्री रामचन्द्र पासवान, प्रभारी प्रधान लिपिक हैं। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि लोक लेखा समिति का कोई भी कंडिका अनुपालन हेतु जिला में लंबित नहीं है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निम्नांकित लोक लेखा समिति की बिंदु जिसके अनुपालन की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की गयी है पूर्ण सूचना प्रेषित करने का निदेश दिया गया :–

1. जिला अंतर्गत विद्यालय/महाविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण/खेती और उससे प्राप्त राजस्व की सरकारी कोष में जमा की स्थिति।
2. विद्यालय/महाविद्यालय की जमीन/परिसर में अवस्थित तलाब में मत्स्य पालन से प्राप्त आय।
3. खासमहाल जमीन की लीज नवीकरण से संबंधित सूचना।

उपरोक्त से संबंधित सूचना संग्रहित कर लोक लेखा समिति को प्रेषित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को दिया गया।

27.0 जमींदारी बांध :–

जमींदारी बांधों की संचिका कार्यालय की अनुक्रमणिका 73 में संधारित है। प्रभारी लिपिक सैमसन हैं। पश्चिम चम्पारण जिला में मझौलिया एवं चनपटिया अंचल में जमींदारी बांध अवस्थित है। संचिका संख्या 73–69/2001–11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी,

मझौलिया के द्वारा जमींदारी बांध का नक्शा सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि जमींदारी बांध मझौलिया अंचल के 14 ग्रामों में अवस्थित है जो निम्नवत् है :–

क्र॰	गाँव का नाम
1	बनकट खाप
2	भरवलिया
3	सरिसब्रा
4	धनकुटवा
5	पिपरा दूबे
6	सेमरा घाट
7	बथना
8	गढ़वा हरपुर
9	सुरा टोला
10	बढ़ईया टोला
11	महनमा
12	डूमरी
13	बहुअरवा
14	परसा

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि अंचल अधिकारी, चनपटिया के द्वारा जमींदारी बांध से संबंधित नक्शा एवं विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर को पूर्णरूपेण हस्तांतरित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मुख्य अभियंता के पत्रांक 667 दिनांक 09.05.2012 द्वारा हस्तांतरित होने वाले जमींदारी बांध के खाता, खेसरा, रकबा संबंधी उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है ताकि बांध की मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग से कराया जा सके। उपरोक्त विवरणी अंचल अधिकारी, चनपटिया अचूक रूप से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

28.0 राज्यसभा/लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद प्रश्न :–

विषयवार प्रश्नों से संबंधित पंजियां अलग–अलग संधारित है। लंबित प्रश्नों के उत्तर सामग्री के लिए आहूत जिला स्तरीय राजस्व समन्वय समिति की बैठकों में संबंधितों को स्मारित किया जाता है।

29.0 लगान वसूली :–

गत वर्ष 2010–11 का वार्षिक वसूली (रिर्टन–1) भेजा जा चुका है। विगत चार वर्षों का मांग एवं वसूली का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं0	वर्ष	मॉग	वसूली
1	2	3	4
1	2007-08	31181476.40	15687029.52
2	2008-09	29574361.00	11888601.71
3	2009-10	26314671.00	10019044.17
4	2010-11	24249047.38	7249776.30

सभी अंचलों को राजस्व वसूली में तेजी लाने का निदेश दिया गया है।

30.0 सैरात :–

- सुरक्षित जमा सैरात पंजी संधारित है।
- सैरात पंजियों में सैरातों के संबंध में अद्यतन प्रविष्टियां की जाती है।
- पश्चित चम्पारण जिला में प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कुल 235 सैरात है जिसके विरूद्ध 96 सैरातों की बन्दोबस्ती की जा चुकी है।
- अबन्दोबस्त सैरातों का विभागीय वसूली करने संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है।
- जिला स्तर पर 19 सैरातों की बन्दोबस्ती की जानी है जिसके विरूद्ध 5 सैरातों की बन्दोबस्ती की जा चुकी है। शेष बन्दोबस्ती की प्रक्रिया में है।

क्रं0	वर्ष	मॉग	वसूली
1	2	3	4
1	2008-09	4628160.60	2664034.00
2	2009-10	9435476.00	3870872.00
3	2010-11	9545145.00	3853663.00
4	2011-12	5609273.00	3377520.00

जिलान्तर्गत परिती घोषित होने योग्य सैरातों के संबंध में सैरात Manual के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

31.0 दाखिल खारिज :–

दाखिल खारिज सामान्य 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक एवं शिविर न्यायालय/राजस्व कैम्प में दाखिल खारिज वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की स्थिति निम्नवत् है :–

क्रं0	वर्ष	दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	कुल निष्पादित	लंबित
1	2	3	4	5
1	2009-10	37852	37782	70
2	2010-11	35036	34977	59
3	2011-12	78074	73619	4455

राजस्व कैम्प

क्रं0	वर्ष	शिविर न्यायालय में प्राप्त दाखिल खारीज	कुल निष्पादित	लंबित
1	2	3	4	5
1	2009-10	11436	8225	3211
2	2010-11	9940	6704	3246
3	2011-12	18082	8877	9205
4	2012-13	1856	829	1027

मृत जमाबंदीदारों को हल्कावार चिन्हित कर नामांतरण हेतु कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता अनुपालन का अनुश्रवण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

32.0 अतिक्रमण :–

अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्रं0	वर्ष	दायरवादों की संख्या		कुल निष्पादित	
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	2011-12	148	46.81½	38	12.88

काफी संख्या में वाद लंबित है। सभी अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी लंबित वादों का निष्पादन तीन माह में सुनिश्चित करेंगे।

33.0 भू–दान :–

भू–दान से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्रं0	संपुष्ट भूमि का रकवा	30.04.2012 तक वितरित भूमि		वितरण के लिये शेष भूमि का रकवा	30.4.2012 के बाद वितरित भूमि
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	1505.12	2798	1445.29	30.94	00

वितरण हेतु लंबित भूमि का भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता से सम्पुष्टि/सत्यापन कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

34.0 भू–हदबंदी :–

भू–हदबंदी से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्रं0	अर्जित भूमि का रकबा	वितरित भूमि		न्यायालय में विचाराधीन भूमि का रकबा	अयोग्य भूमि का रकबा
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	37457.83	35440	26258.96	26821.78½	1754.70½

पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत काफी भूहदबंदी वाद में निम्न न्यायालय के द्वारा अधिशेष घोधित जमीन पर पर्चा वितरण के पश्चात वरीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश के आलोक में सरप्लस घोषित जमीन को नन सरप्लस घोषित किया गया है। इस प्रकार के मामलों में 3 प्रकार की समस्याएं जनशिकायत की सुनवाई के दौरान परिलक्षित हो रही है :–

1. भूधारियों के पक्ष में आवंटित जमीन पर पर्चाधारियों का दखल।
2. पर्चाधारियों के दखल में प्राप्त जमीन पर भूधारी के पक्ष में विभिन्न न्यायालय के द्वारा आदेशित किया जाना।
3. अधिशेष घोषित होकर पर्चा वितरण के बावजूद पर्चाधारियों के दखल कब्जा में जमीन नहीं रहना।

अतः उपरोक्त प्रकार के सभी मामलों में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की ओर से विधि–व्यवस्था के दृष्टिकोण से विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अतः इस प्रकार के आवेदन पत्रों की अंचलवार एक ही पंजी में संधारित कर सूचनाएं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराकर विशेष निगरानी रखना अपर समाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगे। बंदोबस्ती अयोग्य भूमि के संबंध में हल्कावार सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

35.0 सम्पर्क सड़क :–

वर्ष 2009–10 में 03 योजनाएं जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा ली गई है जिसमें धारा–7 एवं 17 (1) का प्रस्ताव आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भेजा गया है।

बैरिया अंचल में ग्राम बगही की भूमि 0.2 ¼ एवं रामनगर अंचल में सुगीभार टोला से झोंगहवा टोला तक ग्राम बनकर में भूमि 0.50 डी0 ली गई है जिसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। सम्पर्क पथ में कुल 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये का आवंटन उपलब्ध है।

36.0 स्वतंत्रता सेनानी बंदोबस्ती :–

स्वतंत्रता सेनानी की बंदोबस्ती की अनुक्रमणिका 41 के संबंध में कोई संचिका प्रभारी लिपिक श्री दीपक कुमार दास के द्वारा नहीं दिखाया गया। अधोहस्ताक्षरी को स्वतंत्रता सेनानी के संगठन द्वारा कतिपय बार आवेदन पत्र दिया गया है कि कतिपय स्वतंत्रता सेनानियों की बंदोबस्ती लंबित है। प्रभारी लिपिक को निदेश दिया गया है कि सामान्य शाखा के स्वतंत्रता सेनानी के प्रभारी लिपिक से संपर्क कर 24 घंटे के अंदर प्राप्त आवेदन को प्राप्त कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

37.0 सैनिकों के साथ बंदोबस्ती :–

इस कार्यालय की अनुक्रमणिका संख्या 40 अंतर्गत चार चिकिकाएं प्रस्तुत की गयी। 40–8/11, 40–9/11, 40–1/11 एवं 40–14/12। उपरोक्त चारों संचिकाएं प्रस्तुत किया गया है। संचिका क्रम के बीच में कौन सी संचिका है। प्रभारी पदाधिकारी छानबीन कर इस अनुक्रमणी के अंदर, 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन दें। कुल 4 ही संचिका को प्रस्तुत किया गया। अंचल मैनाटांड़ में सैनिक के परिवार के साथ बंदोबस्ती का एक मामला 4 साल से लंबित होने की सूचना प्राप्त है। खोजबीन कर निष्पादन सुनिश्चित करें।

प्रभारी लिपिक को निदेश दिया गया कि कार्यरत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित बंदोबस्ती हेतु जमीन की कार्य तालिका बनाकर 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेंगे। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को संबंधित सूची निर्गत कराकर एक माह के अंदर सत्यापन प्राप्त करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रेषित करेंगे।

38.0 न्यास :–

अनुक्रमणी 70 की संचिका संख्या 70–12/03–04 का अवलोकन किया। इस जिले में न्यास का लंबित भुगतान पूर्णरूपेण किया जा चुका है। वर्तमान में कोई मामला लंबित नहीं है।

जिला अंतर्गत अवस्थित धार्मिक नयास परिषद अंतर्गत धारित मठ मंदिर एवं पूजा स्थल तथा बक्फ बोर्ड अंतर्गत अवस्थित सभी प्रकार के जमीन का ब्यौरा एकत्रित कर संधारित करने का दायित्व जिला राजस्व शाखा का है। प्रभारी लिपिक श्री परमानंद चौबे के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कोई सूचना कार्यालय में संधारित नहीं है। अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद तथा जिला के बक्फ कमिटी के अध्यक्ष मो0 मजीद से पत्राचार कर पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास परिषद तथा बक्फ बोर्ड द्वारा धारित जमीन की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रत्येक अंचल में इसका सत्यापन हल्का कर्मचारी से कराने और अतिक्रमण मुक्त रखने की कार्रवाई भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगे।

39.0 बेतिया राज :–

पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंतर्गत बेतिया राज का काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है। पूर्व में सचिव, राजस्व र्पषद से पत्राचार के फलस्वरूप व्यवस्थापक,

बेतिया राज की ओर से बेतिया राज के जमीन की पूर्ण विवरणी प्राप्त हुआ। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि प्राप्त भूमि की विवरणी को सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सभी अंचल अधिकारी तथा अवर निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। राजस्व कार्यालय में प्राप्त उपरोक्त सूचना को 5 प्रति में बुकलेट तैयार कराकर एक प्रति जिला अभिलेखागार, एक प्रति जिला पुस्तकालय, एक प्रति अपर समाहर्त्ता एवं एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के आवासीय कार्यालय में अवस्थित पुस्तकालय में संधारित करने का निदेश दिया गया।

व्यवस्थापक बेतिया राज के द्वारा कतिपय मामलों में बेतिया राज की जमीन अतिक्रमित होने के संबंध में थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारियों से की गयी पत्राचार की प्रतियां जिला राजस्व को भेजी जाती है। इस प्रकार अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त कागजातों के संबंध में शिकायत पंजी जिसमें पृष्ठ अंचल वार आवंटित होगा को संधारित कर अतिक्रमण मुक्त करने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास की पंजी संधारित है। सेन्ट्रल पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया। उसकी अभि प्रमाणित प्रति प्राप्त करके दो माह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

40.0 खास महल :–

पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत कुल 242.25 एकड़ की खास महाल जमीन अवस्थित है। कुल 802 लीजधारी को 35.6 एकड़ की लीज दी गयी है। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि लीजधारियों की पंजी समाहरणालय में उपलब्ध नहीं है। पूछताछ में प्रभारी लिपिक के द्वारा बताया गया कि लीज से संबंधित पंजियां संबंधित अंचल में संधारित है। इससे संबंधित निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :–

1. विभिन्न अंचलों में लीज दी गयी जमीन की विवरणी और लीजधारियों की विवरणी प्राप्त करेंगे। विहित प्रपत्र में जिसमें लीज देने की तिथि और लीज की अवधि अंकित करेंगे। यह कार्रवाई दिनांक 08.06.2012 तक पूर्ण कराना प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा सुनिश्चित करेंगे।
2. लीजधारियों की सूची प्राप्त करने के पश्चात वैसे लीजधारी जिनका लीज की अवधि समाप्त हो गयी है को नए खासमहाल नीति के अंतर्गत नोटिस निर्गत करेंगे।
3. नए खासमहाल नीति के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए लीजधारियों का लीज नवीकरण सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रत्येक अंचल में खासमहाल जमीन की वास्तविक कब्जा की जांच करने हेतु निम्नांकित जांच दल का गठन किया जाता है :–

क्र	अंचल का नाम	संबंधित पदाधिकारी
1	रामनगर	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगहा
2	लौरिया	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज
3	चनपटिया	शैलेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, बेतिया
4	नरकटियागंज	विद्यानाथ पासवान, प्रभारी पदा0 मध्याह्न भोजन योजना
5	बेतिया	1. विनय कुमार ठाकुर, वरीय उपसमाहर्त्ता 2. मधुकांत, वरीय उपसमाहर्त्ता 3. विवके कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता

प्रत्येक पदाधिकारी को सहयोग देने हेतु राजस्व अभिलेख के साथ एक हल्का कर्मचारी प्रतिनियुक्त होगा और आवश्यकतानुसार सहायक का उपयोग संबंधित शाखा से वरीय उपसमाहर्त्ता सेवा प्राप्त कर सकेंगे। **दिनांक 25.06.2012 तक** खासमहाल जमीन की वास्तविक दखल से संबंधित प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। इस प्रतिवेदन की जांच की समीक्षा हेतु **दिनांक 27.06.2012 को अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा बैठक का आयोजन किया जायेगा।**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेतिया में 343 तथा रामनगर में 13 लोगों के द्वारा खासमहाल जमीन को अवैध कब्जा किया गया है या जिसके सत्यापन में कोई कागजात नहीं दिखाया गया। इन व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त कर के वर्तमान में दिए गए निदेश के आलोक में नए खासमहाल नीति कि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा का दायित्व होगा। राजस्व शाखा में पूर्व से संधारित लीज पंजी की खोजबीन कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

संग्रह संख्या 71, संचिका संख्या 71–1/2011–12 (पार्ट–1) का अवलोकन किया। समाहर्त्ता का पदस्थापन इस जिला में दिनांक 12.02.2011 को हुआ है। वर्तमान समाहर्त्ता के पदस्थापन के पश्चात इस संचिका का उपस्थापन नहीं किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नए खासमहाल नीति के आलोक में शहरी क्षेत्रों में खासमहाल से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में विस्तृत निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संचिका का प्रभारी लिपिक श्री अविनाश कुमार हैं।

1. रामनगर अंचल का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

1 खास महाल की कुल भूमि का विवरण – 10.68 एकड़

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
नरैनापुर 619	87	369	1.23
	95	370	1.13
	25	372	2.94
	137	367	5.38
	कुल :–		**10.68 एकड़**

2 लीज धारियों की संख्या – 381
कुल रकबा – 3.87 एकड़

3 लीज धारियों का नाम – सूची संलग्न

4 बगहा न्यायालय में सब जज के न्यायालय में मूल पंजी वाद संख्या–42/01, 47/01, 55/01, 56/09, 59/01 में जमा है।

5 लीज अवधि कबतक – सलाना

6 लीज नवीरकण हुआ अथवा नहीं – नहीं

7 नवीकरण नहीं हुआ तो उसका कारण – न्यायालय द्वारा यथास्थिति कायम रखने का आदेश है।

8 अवशेष खा महाल भूमि की स्थिति — मकान – 6.27 एकड़, सड़क – 0.54 एकड़, कुल – 6.81 एकड़

9 अवैध कब्जाधारियों की संख्या – 123

रकबा – 6.27 एकड़

2. अंचल अधिकारी, लौरिया स प्राप्त खासमहाल भूमि से संबंधित प्रतिवेदन :–

गाँव का नाम

पकड़ी – 431

खाता	खेसरा	रकबा	किस्म
134	766	0.64	धारी
	767	0.35	धारी
	768	0.19	पावर पैखाना
	769	0.17	अस्तबल
	774	0.29	पोखरा
	773	0.95	बंगला
	777	3.97	परती कदीम
	778	5.74	मकान, पोखरा
	779	1.05	मकान, पोखरा
	781	3.52	बंगला
	770	0.61	फुलवारी
	775	1.25	सहन
	कुल :–	**18.66 एकड़**	

नोट :– पूर्ण रकबा सुगर मिल, लौरिया को लीज कर दी गयी है।

3.0 अंचल अधिकारी, नरकटियागंज स प्राप्त खासमहाल से संबंधित प्रतिवेदन :–

क्र०	लीजधारियों का नाम	जमाबंदी सं.	खाता	खेसरा	मौजा शिकारपुर
1	रामप्रसाद राम	1	14	656	111
2	श्रीमती पार्वती देवी	2			
3	रामाधार प्रसाद	4			
4	बनवारी लाल अग्रवाल	3			
5	झूलन प्रसाद	5			
6	महेश प्रसाद सोनालिया	6			
7	सेवक लाल	7			
8	मेवा लाल साह	8			
9	लाल बाबू	9			
10	प्रदीप	10			
11	जगदीश मारवाड़ी	11			
12	बदरी मारवाड़ी	12			
13		13			
14	जगदीश मारवाड़ी	14			

15	जगदीश मारवाड़ी	15			
16	नारायण प्रसाद पोद्दार	16			
17	कमलेश प्रसाद	17			
18	फतेह चन्द्र केडिया	18			
19	रामनार्थ शर्मा	19			
20	महंगू प्रसाद	20			
21	मोहन लाल	21			
22	विजय	22			
23	मोतीलाल	23			
24	धरीक्षण राम धर्मशाला	24			
25	सूरजमल सोनालिया धर्मशाला	25			
26	भगवती प्रसाद वर्मा हाई स्कूल	26			
				कुल रकबा :–	0.11 डी.

4.0 अंचल अधिकारी, चनपटिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चनपटिया अंचल में कुल 1.37 एकड़ एवं लीजधारियों की संख्या–51

5.0 बेतिया अंचल से प्राप्त खास महाल संबंधी विवरणी निम्नवत् है :–

1	समारणालय एवं परिसर	4.09 एकड़
2	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय एवं परिसर	2.35 एकड़
3	सिविल कोर्ट एवं परिसर	2.65 एकड़
4	निबंधन कार्यालय	0.31 एकड़
5	जिला सांख्यिकी कार्यालय वगैरह	0.23 एकड़
6	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय वगैरह	0.23 एकड़
7	नगरपालिका कार्यालय एवं परिसर	2.03 एकड़
8	बस स्टैन्ड, जलकर, हजारी मेला, प्रखंड कार्यालय वगैरह	44.20 एकड़
9	विपिन मिडिल स्कूल	1.04 एकड़
10	बड़ा रमना	68.74 एकड़
11	छोटा रमना एवं सड़क	10.39 एकड़
12	मीना बाजार	10.01 एकड़
13	डी.आई.जी. आवास एवं परिसर	18.20 एकड़
14	समाहर्त्ता निवास	0.50 एकड़
15	परिसदन	6.05 एकड़
16	हवाई अड्डा	1.64 एकड़
17	रेलवे के अधीन	35.96 एकड़
18	नगर थाना एवं परिसर	1.56 एकड़
19	जमाबंदी संख्या 29, 30, 32, 33, 34 के अनुसार लीज	1.25 एकड़
	कुल :–	**211.43 एकड़**

41.0 कैसरे हिन्द :–

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला अंतर्गत अनुमंडलवार निम्नांकित कैसरे हिन्द जमीन उपलब्ध है :–

क्र	अनुमंडल का नाम	जमीन
1	बेतिया	'376.26 एकड़
2	बगहा	1062.00 एकड़
3	नरकटियागंज	3050.36 एकड़

उपरोक्त सारणी का अंचल वार विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र०	अनुमंडल	प्रखण्ड	रकबा	
A	बेतिया सदर			376.29 एकड़
1		बेतिया	98.86 एकड	
2		बैरिया	0	
3		नौतन	21.51 एकड़	
4		मझौलिया	104.08 एकड़	
5		योगापट्टी	36.39 एकड़	
6		चनपटिया	115.45 एकड़	
B	नरकटियागंज			
7		नरकटियागंज	0	1062.00 एकड़
8		गौनाहा	510.60 एकड़	
9		सिकटा	244.44 एकड़	
10		मैनाटांड़	306.96 एकड़	
11		लौरिया	0 एकड़	
C	बगहा			
12		रामनगर	629.21 एकड़	3050.36 एकड़
13		बगहा–1	610.38 एकड़	
14		बगहा–2	1810.77 एकड़	
15		मधुबनी	0	
16		ठकराहां	0	
17		भितहां	0	
18		पिपरासी	0	
			कुल :–	**4490.65 एकड़**

अंचलवार कैशरे हिन्द जमीन का सत्यापन कर अतिक्रमण से बचाने की कार्रवाई करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को देने का निदेश दिया गया। साथ ही अंचलवार/हल्कावार उपलब्ध कैसरे हिन्द जमीन की अतिक्रमण मुक्त रखने का प्रमाण–पत्र सभी हल्का कर्मचारी से प्राप्त कर अंचल अधिकारी को प्रेषित करने का निदेश दें। इस संचिका का प्रभार श्री अविनाश कुमार, लिपिक के पास है।

42.0 कम्प्यूटराईजेशन :–

भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में दो भेंडरों के साथ एकरारनामा किया गया है –

1. मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर्स, भोपाल एवं
2. मेसर्स इन्फोटेक, कविवर नेपाली पथ, बेतिया

उपरोक्त दोनों के साथ एकरारनामा किया गया लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना से विभागीय मार्ग दर्शन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 57/रा0 दिनांक 03.03.2012 द्वारा की गई है। कम्प्यूटरीकरण कार्य Register-2 के आधार पर किया जाना है। अतः कैम्प के माध्यम से अद्यतनीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

43.0 महादलित :–

महादलित विकास योजनान्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने का अद्यतन आंकड़ा निम्न प्रकार है :–

क्र0	भूमि का श्रोत	जिला का समग्र लक्ष्य		भौतिक उपलब्धि 21.05.2012		अवशेष लक्ष्य
		परिवारों की सं0	भूमि का रकवा	लाभान्वित परिवार	भूमि का रकवा	
1	2	3	4	5	6	7
1	गैरमजरूआ खास/मालिक भूमि	8312	237.64¾	4597	136.80	3715
2	गैरमजरूआ आम भूमि	4060	109.01	729	16.97¾	3331
3	बी0पी0एच0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पर्चा वितरण	3309	87.32	2821	77.48	488
4	रैयती भूमि के क्रय द्वारा	2813	84.39	1508	45.24	1305
	कुल योग :–	**18494**	**518.36¾**	**9655**	**276.49¾**	**8839**

44.0 सूचना का अधिकार अधिनियम :–

पंजी अद्यतन संधारित है। विगत वर्ष 2010–11 में कुल 213 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनकों संबंधितों को हस्तांतरण किया जा चुका है एवं वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को पत्रांक 230 प्र0/रा0 दिनांक 7.12.2011 से भेजा जा चुका है। वर्ष 2011–12 में कुल 384 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनको संबंधितों को हस्तांतरण किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में कुल 43 आवेदन पत्र हस्तानांतरित किये जा चुके हैं।

45.0 निष्कर्ष :–

जिला राजस्व शाखा भू–हदबंदी, भ–ूदान, खास महल, भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मामलों का निष्पादन करता है। इसमें विशेष तत्परता की आवश्यकता है। राजस्व अभिलेख/पंजियों का समुचित संधारण एवं रख–रखाव की आवश्यकता है।

निरीक्षण के क्रम में दिए गए निदेशों का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी
–सह–समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 787 / गो., दिनांक 09.06.2012

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन/जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, बेतिया/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/12

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी
–सह–समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 787 / गो., दिनांक 09.06.2012

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/12

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी
–सह–समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

9||

9